क्रम-संख्या–91

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–2, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 19 जून, 2020
ज्येष्ठ 29, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 853/79-वि-1–2020-2(क)13-2020
लखनऊ, 19 जून, 2020

अधिसूचना
विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 2020) जिससे वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, प्रख्यापित किया गया हे जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 2020)

[भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 का अग्रतर संशोधन करने के लिये।

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधानमण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं:–

संक्षिप्त नाम

1–यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2004 की धारा 4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 की धारा 4 में, उपधारा (3) में खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :–

"(ग) वित्तीय वर्ष 2020–2021 में राजकोषीय घाटा, प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनधिक पाँच प्रतिशत पर बनाये रखेगी।"

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।'

आज्ञा से,
जे0पी0 सिंह–II,
प्रमुख सचिव।

No. 853 (2)/LXXIX-V-1–2020-2 (Ka) 13-2020

Dated Lucknow, June 19, 2020

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajkoshiya Uttardayitwa Aur Budget Prabandh (Dwitiya Sanshodhan) Adhyadesh, 2020 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 13 of 2020) promulgated by the Governor, The Vitta (Aay-Vyayak) Anubhag-1 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH FISCAL, RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (SECOND AMENDMENT) ORDINANCE, 2020

(U.P. Ordinance no. 13 of 2020)

[Promulgated by the Governor in the Seventy-first Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred by clause(1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title

1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Second Amendment) Ordinance, 2020.

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004 in sub-section (3) *for* clause (c) the following clause shall be *substituted,* namely :– Amendment of section 4 of U.P. Act no. 5 of 2004

"(c) maintain fiscal deficit at not more than five per cent of the estimated Gross State Domestic Product in the fiscal year 2020-2021."

ANANDIBEN PATEL,
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
J.P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 82 राजपत्र-2020-(169)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 6 सा0 विधायी-2020-(170)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।